रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092025-266196
CG-DL-E-16092025-266196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4075]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947
No. 4075]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2025

का.आ. 4190(अ).— केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात, ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड, जोन ए, ग्राउंड फ्लोर, फॉर्चून टावर्स, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023 अर्थात मनोहरपुर कोयला खान परियोजना, सुंदरगढ, ओडिशा को आबंटित खानों को, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2063(अ), तारीख 21 जून, 1988 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-2 खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के क्रम संख्या 1 से 3 के सामने उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन के संबंध में, लागू होने से छूट प्रदान करती है, अर्थात:-

(i) उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों में लगे कर्मकारों के हित संरक्षित हों;

(ii) ऐसे कर्मकार को कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों के अनुसार और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर मजदूरी और अन्य प्रसुविधाएं दी जाएं;

(iii) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि क्या कोई ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड अर्थात, मनोहरपुर कोयला परियोजना, सुंदरगढ, ओडिशा में ऐसे कर्मकारों को ऐसी मजदूरी और प्रसुविधाँए दी जाती हैं;

(iv) ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी संविदा में कोई परिवर्तन होता है, तो विद्यमान ऐसे ठेका कर्मकारों को, जो कार्यरत हैं, कर्तव्यों का समाधानप्रद अनुपालन के अधीन रहते हुए, आने वाले ठेकेदार द्वारा नियोजन में अधिमान दिया जाएगा;

(v) उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 2063(अ), तरीख 21 जून, 1988 की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खनन संकर्म पर प्रासंगिक या आनुषंगिक नौकरी में कार्यरत कर्मकार कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अवधारित और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार मजदूरी प्राप्त करेंगे;

(vi) ठेकेदार, प्रधान नियोक्ता के साथ-साथ उक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मजदूरी की, जो प्रत्येक छह मास में बढ़ती है और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार अन्य फायदे का भी संदाय सुनिश्चित करेगा;

(vii) ठेका कर्मकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अधीन आएंगे; और

(viii) ठेका कर्मकारों को खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार मजदूरी सहित बोनस संदत किया जाएगा और छुट्टी दी जाएगी ।

[फा. सं. एस-16012/01/2018-एल.डब्ल्यू.]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2025

S.O. 4190(E).— In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts the Coal Mines allotted to the Odisha Coal and Power Limited, Zone-A, Ground Floor, Fortune Towers, Chandra sekharpur, Bhubaneswar-751023, namely the Manoharpur Coal Mine Project, Sundergarh, Odisha from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour vide notification number S.O. 2063 dated the 21st June, 1988, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified in the Schedule to the said notification against serial numbers 1 to 3, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-

(i) The interest of the workmen engaged in the above mentioned works be protected;

(ii) Such workmen be paid wages and other benefits as per the recommendations of the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

(iii) The Central Advisory Contract Labour Board shall have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in the Odisha Coal and Power Limited, namely the Manoharpur Coal Mine Project, Sundergarh, Odisha;

(iv) The Management of Odisha Coal and Power Limited shall ensure that whenever there is a change of contract, existing contract workmen who are working may be given preference in employment by the incoming contractor, subject to satisfactory performance of duties;

(v) The workmen working in jobs ancillary or incidental to coal mining works specified against serial numbers 1 to 3 of the Schedule to the said notification number S.O. 2063(E), dated the 21st June, 1988, shall get wages as determined by the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

(vi) The contractor, as well as the Principal Employer, shall ensure payment of the said High Powered Committee wages, which increases every six months, and also other benefits as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

(vii) The contract workers shall be covered under the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972); and

(viii) The contract workers shall be paid bonus and leave with wages as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

[F. No. S-16012/01/2018-L.W.]

ASHUTOSH A.T PEDNEKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2025.09.16 22:32:14 +05'30'